

कार्यालय निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर ग्वालियर, मध्य प्रदेश

—: सार्वजनिक नीलामी सूचना :-

सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर व इसकी विभिन्न ईकाईयों की निम्नलिखित अनुपयोगी वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 21 व 22 मई 2018 को प्रातः 1000 बजे रसद शाखा परिसर, सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में होगी :-

क्र. सं	भंडार का नाम	जमानत राशि	नीलामी दिनांक
1.	MT Platoon	75,000.00	21.05.2018
2.	I of A		
3.	Prov Branch		
4.	SOs Mess-I		
5.	Printing Press		
6.	ADM		
7.	IT		
1.	Communication	45,000.00	22.05.2018
2.	Main Office		
3.	Equitation		
4.	Training Store		
5.	STS AC (DE) Mess		
6.	STS SI (DE) Mess		
7.	FOS (Old Magazine & News papers)		
8.	TAC Wing		
9.	STS Wing		

नीलामी हेतु निम्नलिखित नियम/शर्तें हैं :-

1. उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी सक्षम अधिकारी सीमा सुरक्षा बल अकादमी द्वारा नियुक्त अधिकारियों की समिति द्वारा पृथक-पृथक की जायेगी।
2. उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी जमानत राशि नीलामी स्थल पर नीलामी से पूर्व नगद जमा करना होगा।
3. इच्छुक बोलीदाता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) मात्र न वापसी योग्य बतौर प्रवेश शुल्क पहले जमा करने के उपरांत संबंधित वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है एवं तालिका में दर्शाई गयी जमानत राशि (वापसी/समायोजन योग्य राशि) जमा करने के उपरांत ही बोलीदाता बोली लगाने के हकदार होंगे। प्रवेश शुल्क दोनों दिन के लिए मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा एक दिन की नीलामी में भाग लेने हेतु भी प्रवेश शुल्क रू. 1000/- ही रहेगा।

4. प्रतिभागियों को नीलामी के समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कोई पहचान पत्र की छाया प्रति जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो लगाना होगा एवं उसकी मूल प्रति भी दिखानी होगी।
5. उपरोक्त अनुपयोगी वस्तुयें उच्चतम बोलीदाता को नीलामी स्थल पर ही नगद भुगतान करने पर दे दी जायेगी, बशर्ते कि उच्चतम बोली विभाग द्वारा वस्तुओं की निर्धारित रिजर्व मूल्य से अधिक हो।
6. प्रतिभागी का जी एस टी पंजीकरण (GST Registration) होना अनिवार्य है।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा लगायी गयी, बोली पर नियमानुसार विक्रय कर/जी एस टी अलग से देय होगा।
8. उपरोक्त शर्तें 5 से 7 के पालन में असमर्थ होने पर सफल बोलीदाता की जमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी।
9. नीलामी खत्म होने के बाद विभाग की नीलामित वस्तुओं के रख-रखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं उच्चतम बोलीदाता को उसी दिन नीलामित वस्तुओं/सामान को उठाना अनिवार्य होगा।
10. निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी के पास बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सीमा सुरक्षा बल की वेबसाईट www.bsf.nic.in पर

अथवा दूरभाष संख्या 07524-275208, 274200 एक्सटेंशन 151 या 179 पर ली जा सकती है।



राजीव रंजन
02/05/18
(राजीव रंजन)
सहा कमांडेंट (रसद)
कृते निदेशक
सीमा सुरक्षा बल अकादमी